संख्या-245/2015/3041जेएल/22-3-15-200(1)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज,
ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर, 2015***

विषय- सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-207/2015/1790जेएल/22-3-15-200(1)/2015, दिनांक 14-07-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में 42 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित बंदियों में से निम्नलिखित 05 बंदियों को पूर्व से स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	बाली पुत्र श्री जालम	ललितपुर	15111
2	अशोक कुमार पुत्र श्री करन सिंह	जे0पी0 नगर	15717
3	हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर	मेरठ	15522
4	रणधीर पुत्र श्री बलजीत	मुजफ्फरनगर	15626
5	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलजीत	मुजफ्फरनगर	15627

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-245/2015/3041जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in